भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5117
जिसका उत्तर मंगलवार 27 मार्च, 2018 को दिया जाना है

ऑटोमोटिव जांच एजेंसियां

5117. श्री मलयाद्रि श्रीराम:
श्री के आर पी प्रबाकरन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में ऑटोमोटिव उत्पादों को प्रमाणित करने हेतु ऑटोमोटिव जांच एजेंसियों की सूची है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी एजेंसियां वाहनों और इसके विभिन्न संस्करणों की जांच के संबंध में ऑटोमोटिव उत्पादों के प्रमाणीकरण के दौरान समान मानकों का पालन कर रही है और अलग-अलग एजेंसियों और अलग-अलग विनिर्माण कंपनियों हेतु रिपोर्ट भिन्न-भिन्न है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार और उसके संबंधित विभाग किस प्रकार यह निर्धारित करते हैं कि विभिन्न एजेंसियों के कौन से मानकों, प्रमाण पत्रों और रिपोर्टों का पालन किया जाना है;

(ङ) उक्त प्रयोजन हेतु समय-सीमा क्या है और विसंगतियों और अंतरों को सुधारने हेतु प्राधिकारी कौन हैं;

(च) क्या जांच एजेंसियों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क की राशि में भारी अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या ऐसी एजेंसियों के पास लेखा परीक्षण रिपोर्ट हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 के नियम 126 के तहत यह प्रावधान है कि ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों के अलावा प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (सीएमवीए) 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 के उपबंधों के अनुपालन में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इसके लिए विनिर्दिष्ट किसी भी एजेंसी द्वारा परीक्षण हेतु उनके द्वारा बनाए गए वाहन का प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नियम 126 के संदर्भ में परीक्षण एजेंसियों को सीएमवीआर के नियम 126(क) में विनिर्माता की उत्पादन लाइन से लिए गए उन वाहनों पर परीक्षण करना भी अपेक्षित है कि ये वाहन सीएमवीए, 1988 की धारा 110 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों की पुष्टि करते हैं। उक्त नियम के अंतर्गत सूचीबद्ध परीक्षण एजेंसियां नीचे दी गई हैं।

1. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
2. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे

3. सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बुदनी (मध्य प्रदेश)
4. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून
5. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रांस्पोर्ट, पुणे
6. इंटरनेशनल सेंटर फोर ऑटोमोटिव टेक्नॉलाजी, मानेसर
7. नार्दन रिजन फार मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट, हिसार
8. ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, चेन्नई

(ख) (ग) और (घ): सभी परीक्षण एजेंसियों द्वारा उन्ही मानको को अपनाना अपेक्षित है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत अधिसूचित है।

(ङ): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो सीएमवीआर 1989 के तहत नियमों/उपबंधों को बनाने की जांच करता है।

(च) और (छ): परीक्षण एजेंसियों द्वारा लिए जाने वाले परीक्षण शुल्क यद्यपि प्रतिस्पर्धी है, फिर भी काफी निकट होने की संभावना है। प्रचालन लागत, सक्षमताओं और अन्य बातों पर विचार करते हुए यह प्रत्येक परीक्षण एजेंसी का अलग-अलग हो सकता है। भारत सरकार से निधियन प्राप्त करने वाले सभी निकाय सीएंडएजी द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

******